XXX-Part.—21

(5)

3378/09
7/10/09

रूप क्रमांक 2
( देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

804674
12 FEB 2024

# समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक 04/15/01/01137/09

यह प्रमाणित किया जाता है कि माँ रेवती एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी

समिति जो 579, शांति नगर, दमोहनाका जबलपुर, तहसील जबलपुर

जिला जबलपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 6/10/09 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 6 माह अक्टूबर सन् 2009

मुद्रा

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर
समितियों के रजिस्ट्रार

प्रारूप क्रमांक -1
(देखिए नियम -3)
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन - पत्र

(6) 342/09 13/11/09

1. समिति का नाम : माँ रेवती एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी
2. समिति का कार्यालय : 479, शांति नगर, दमोहनाका, जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

547674
02 FEB 2024

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

4. संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. नई पीढी की आधुनिक और नैतिक शिक्षा एवं विकास की उच्चस्तरीय व्यवस्था करना ।
2. के . जी और प्रायमरी से लेकर हायर सेकेन्डरी तक स्कूलों की स्थापना करना । जिनका माध्य. शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल एवं सी.बी. एस.ई. द्वारा संचालन करना ।
3. महाविद्यालय स्तर तक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान पेरामेडिकल कोर्सेज । चिकित्सा महाविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ फार्मेसी/ नर्सिंग / शिक्षा /बी.एड., एम.एड., डी.एड., प्रबंध संस्थान कम्प्यूटर कालेज स्थापित करना एवं व्यवस्था करना महाविद्यालय स्तर के सामान्य कोर्सेज कला वाणिज्य एवं विज्ञान का भी संचालन करना । पर्यावरण शिक्षा एवं कानूनी शिक्षा का संचालन करना।
4. विकलांगों के लिये कल्याणकारी, कार्यक्रम स्थापित करना प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।
5. निर्धन अनाथ एवं विधवाओं के साथ साथ दलित अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछडे वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना ।
6. महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा के लिये केन्द्र स्थापित करना जैसे कम्प्यूटर ,सिलाई ,कढाई ,पेंटिंग , टाइपिंग, ब्यूटीशियन इत्यादि का प्रशिक्षण देना ।
7. कामकाज महिलाओं के लिये वसतिगृह ,झूलाघर व अल्प आवास गृह स्थापित करना ।
8. सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्य करना । विशेषकर का आदिवासी /अल्पसंख्यक/ पिछडे हुए क्षेत्र मे कार्य करना/
9. मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यो का आयोजन करना ।
10. हेल्थक्लब की स्थापना कर उसका संचालन करना ।
11. समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास की योजनाओं का संचालन करना।
12. महिला गृह उद्योग का प्रशिक्षण ~~देकर~~ देना ~~गरीब, बेसहारा , तलाकशुदा महिलाओं के लिये रोजी रोटी के अवसर जुटाना~~ ।
13. शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं का संचालन करना।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं की जानकारी देना एवं गरीब कृषकों एवं मजदूरों को शासन से उनका हक दिलाना
15. स्कूली बच्चों के लिये होस्टल बोर्डिंग इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना।
16. पीड़ित मानवता के लिये औषधालय , अस्पताल की स्थापना करना एवं शिवरों का आयोजन कर गरीबों की सहायता करना ।
17. ~~सामान्य उद्देश्य वाली अन्य विघटित संस्थाओं का अधिग्रहण एवं संचालन करना ।~~
18. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन एकत्र करना ।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

उप पंजीयक जबलपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड

अध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड

सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड

12 FEB 2024

4. समितियों के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी निकाय का सौंपा गया है । जिनके नाम, पते तथा व्यवसाय निम्न प्रकार है :-

| क्र. (1) | नाम पिता/पति का नाम (2) | पद (3) | पूर्ण पता (4) | धन्धा (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री शिवकुमार चौबे आत्मज स्व.लक्ष्मीप्रसाद | अध्यक्ष | 479, शांतिनगर जबलपुर | नौकरी |
| 2. | श्रीमति रमा तिवारी पत्नि स्व.गौरीशंकर | उपाध्यक्ष | जे.पी.नगर अधरताल जबलपुर | रिटायर्ड शिक्षिका |
| 3. | श्रीमति कृष्णा चौबे पत्नि एस. के. चौबे | सचिव | गली.नं.15शांतिनगर ज. | नौकरी |
| 4. | श्री बृजेश शर्मा आत्मज -छोटेलाल शर्मा | संयुक्त सचिव | जे.पी. नगर झंडा चौक अधारताल ज. | नौकरी |
| 5. | श्रीमति आकांक्षा अवस्थी पत्नि श्री विवेक अवस्थी | कोषाध्यक्ष | बी-6 रतन नगर मदन महल, जबलपुर | गृहणी |
| 6. | श्री रामकुमार गर्ग आत्मज - स्व. के.एल. गर्ग | कार्यकारिणी सदस्य | जे.पी. नगर, अधारताल, जबलपुर | होटल व्यवसाय |
| 7. | श्री शान्त कुमार आत्मज स्व. लक्ष्मी प्रसाद | कार्यकारिणी सदस्य | ग्राम-करमेता | कृषक |

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

अध्यक्ष

सचिव

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

③ 8

5. समिति के इस ज्ञापन -पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1)के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है ।

507674
12 FEB 2024

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन - पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं ।

| क्र. | निर्माणकर्ताओं के नाम, पिता/पति का नाम सहित | पता | पद | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री शिवकुमार चौबे<br>पिता स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद | 479, शांति नगर, जबलपुर | अध्यक्ष | Shivkumar |
| 2. | श्रीमती रमा तिवारी<br>पति स्व. गौरी शंकर तिवारी | जे.पी. नगर अधारताल, जबलपुर | उपाध्यक्ष | रमा तिवारी |
| 3. | श्रीमती कृष्णा चौबे<br>पति श्री एस.के. चौबे | गली न. 15 शांति नगर ज. | सचिव | K |
| 4. | श्री ब्रजेश शर्मा<br>पिता श्री छोटेलाल शर्मा | जे.पी. नगर, झंडा चौक अधारताल | संयुक्त सचिव | [signature] |
| 5. | श्रीमती आकांक्षा अवस्थी<br>पति विवेक अवस्थी | बी-6 रतन नगर, मदन महल जबलपुर | कोषाध्यक्ष | [signature] |
| 6. | श्री रामकुमार गर्ग<br>पिता स्व. कन्हैया लाल | जे.पी. नगर, अधारताल | कार्यकारिणी सदस्य | [signature] |
| 7. | श्री शान्त कुमार<br>पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद | ग्राम-करमेता जबलपुर | कार्यकारिणी सदस्य | शान्तकुमार |

TC

अस्टिेंन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर

हस्ताक्षर S.K. Sahu
नाम S. K. Sahu
पूर्ण पता 17 MO 490
Sanjay Gandhi
Nagar Cantt JBP

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

अध्यक्ष

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

दगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

# नियमावली

34011/0 13/10/09

507674

12 FEB 2024

1. समिति का नाम : मॉं रेवती एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी
2. समिति का कार्यालय : 479, शांति नगर, दमोहनाका, जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

4. संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. नई पीढी की आधुनिक और नैतिक शिक्षा एवं विकास की उच्चस्तरीय व्यवस्था करना ।
2. के . जी और प्रायमरी से लेकर हायर सेकेन्डरी तक स्कूलों की स्थापना करना । जिनका माध्य. शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल एवं सी.बी. एस.ई. द्वारा संचालन करना ।
3. महाविद्यालय स्तर तक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान पेरामेडिकल कोर्सेज । चिकित्सा महाविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ फार्मेसी/ नर्सिंग / शिक्षा /बी.एड., एम.एड., डी.एड., प्रबंध संस्थान कम्प्यूटर कालेज स्थापित करना एवं व्यवस्था करना महाविद्यालय स्तर के सामान्य कोर्सेज कला वाणिज्य एवं विज्ञान का भी संचालन करना । पर्यावरण शिक्षा एवं कानूनी शिक्षा का संचालन करना।
4. विकलांगों के लिये कल्याणकारी, कार्यक्रम स्थापित करना प्रौढ शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।
5. निर्धन अनाथ एवं विधवाओं के साथ साथ दलित अनूसूचित जाति / जनजाति एवं पिछडे वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना ।
6. महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा के लिये केन्द्र स्थापित करना जैसे कम्प्यूटर ,सिलाई ,कढाई ,पेंटिग , टाइपिंग, ब्यूटीशियन इत्यादि का प्रशिक्षण देना ।
7. कामकाज महिलाओं के लिये वसतिगृह ,झूलाघर व अल्प आवास गृह स्थापित करना ।
8. सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्य करना । विशेषकर का आदिवासी /अल्पसंख्यक/ पिछड़े हुए क्षेत्र मे कार्य करना/
9. मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यो का आयोजन करना ।
10. हेल्थक्लब की स्थापना कर उसका संचालन करना ।
11. समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास की योजनाओं का संचालन करना।
12. महिला गृह उद्योग का प्रशिक्षण ~~देकर~~ देना ~~गरीब, बेसहारा , तलाकशुदा महिलाओं के लिये रोजी रोटी के अवसर जुटाना ।~~
13. शासन द्वारा प्रदुत्त योजनाओं का संचालन करना।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं की जानकारी देना एवं गरीब कृषकों एवं मजदूरों को शासन से उनका हक दिलाना
15. स्कूली बच्चों के लिये होस्टल बोर्डिंग इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना ।
16. पीड़ित मानवता के लिये औषधालय , अस्पताल की स्थापना करना एवं शिवरों का आयोजन कर गरीबों की सहायता करना।
17. ~~सामान्य उद्देश्य वाली अन्य विघटित संस्थाओं का अधिग्रहण एवं संचालन करना ।~~
18. ~~उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन एकत्र करना ।~~

उप पंजीयक जबलपुर (म.प्र.)

| | | |
|---|---|---|
| कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष<br>माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी , जबलपुर | सचिव |

(1)

5674
12 FEB 2024

5. सदस्यता – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षण सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये दो हजार पाँच सौ देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य – कोई भी व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये दो हजार देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा ।

(स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रूपये पॉच माह रूपये साठ प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी . ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य - संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनका मत देने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता प्राप्ति – प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदन-पत्र प्रबन्धकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता – संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

(2) भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

(4) सद्चरित्र हो ।

(5) पागल दिवालिया या सजायाफ्ता न हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति–संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर ।

(2) पागल, दिवालिया विक्षिप्त हो जाने पर ।

(3) नियमानुसार सदस्य शुल्क का भुगतान न करने पर।।

(4) त्याग-पत्र देने एवं स्वीकार होने जाने पर ।

(5) संस्था विरोधी गतिविधियों एवं चारित्रिक दोष होने पर कार्य-कारिणी के निर्णयानुसार निशकाशित किये जाने पर जिसके निर्णय पारित हो जाने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होग ।

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

अध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

सचिव

उप पंजीयक
जबलपुर (म.प्र.)

(11)

9. **सदस्य पंजी** :– संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज होंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय.
(2) सदस्य का प्रवेश दिनांक एवं सदस्यता शुल्क की रसीद का क्रमांक.
(3) सदस्यता समाप्त होने की तारीख

10. (अ) **साधारण सभा** - साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी में हुआ करेगी। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. बैठक की तिथि, माह व स्थान तथा समय आदि का निर्धारण कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना समस्त सदस्यों को 15 दिन पूर्व दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा. प्रथम आम सभा संस्था के पंजीयन की तिथि से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करे तथा विधिवत् पदाधिकारियों का चुनाव करावे।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा – प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक तिथि से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी. बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर तथा उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की आवश्यकता न होगी।

(स.) विशेष बैठक :– यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके दर्शाये गये बिन्दु पर विचार करने के लिये साधारण सभा की विशेष बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश या परामर्श देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(द) माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल शिक्षा अधिनियम 61 (m) के तहत् शाला संचालन हेतु एक शाला प्रबंध समिति का गठन किया जावेगा जिसमें संस्था के समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ प्रबंध समिति के तीन सदस्य एवं शाला प्राचार्य एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का एक प्रतिनिधि होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क. संस्था का गत वर्ष का वार्षिक विवरण तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार करना।
ख. संस्था की स्थायी निधि एवं सम्पत्ति की उचित व्यवस्था करना।
ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना।
घ. ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो कि प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किये जावें।
च. संस्था द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं का आय-व्यय पत्रकों को स्वीकार करना।
छ. बजट का अनुमोदन करना।

507674
12 FEB 2024

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

अध्यक्ष

सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

(4)

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :– ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 की कंड़िका 1, 2 एवं 3 में दर्शाये गये सदस्य जिनके नाम पंजी (रजिस्टर) में अंकित हों की बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा जिसमें पदाधिकारी एवं पद संख्या निम्नानुसार होगी :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | (एक) |
| 2. | उपाध्यक्ष | (एक) |
| 3. | सचिव | (एक) |
| 4. | कोषाध्यक्ष | (एक) |
| 5. | संयुक्त सचिव | (एक) |
| 6. | सदस्य | (दो) |

807674
12 FEB 2024

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यथेष्ठ कारण होने पर समिति उस समय तक जब तक कि नयी कार्यकारिणी का निर्माण नियमानुसार नहीं हो जाता है कार्य करती रहेगी। किन्तु अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

14. प्रबंध कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधाण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्थाओं के चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जावें।

च. संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्य-कारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जावेगी।

ज. विशेष बैठक कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

कोषाध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जबलपुर

अध्यक्ष

सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जबलपुर

उप पंजीयक
जबलपुर (म.प्र.)

(13)

15. अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इन बैठकों का आयोजन वह सचिव के द्वारा करवायेगा। विचारार्थ विषयों पर समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णयात्मक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा एवं अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव के अधिकार :–

अ. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र एवं सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

ब. समिति के आय-व्यय का हिसाब रखना तथा लेखा परीक्षकों से परीक्षण कराकर प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा के समय प्रस्तुत करना।

स. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

द. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में पाँच सौ रूपये तक व्यय करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यय को प्रबंधकारिणी की आगामी बैठक में स्वीकृत कराना होगा।

संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव सभी कार्य करेगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की समस्त धनराशि का हिसाब रखना तथा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत मदों पर या सचिव की लिखित सूचना होने पर निर्देशित व्यय करना।

19. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि की अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष/या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपया सौ होंगे।

20. पंजीयन को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

21. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
अध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

सचिव
सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

12 FEB 2024

उप पंजीयक

E0 7674
12 FEB 2024

(6) (14)

22. विघटन :— संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. सम्पत्ति :— संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार, फर्मस एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

24. बैंक खाता :— संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने एवं निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्मस एवं संस्थायें की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वह यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. विवाद :— संस्था या संस्था द्वारा संचालित अन्य समितियों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसे सुलझाने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। यह साधारण सभा में बहुमत के आधार पर ऐसे मामलों को सुलझायेगा। यदि ऐसे निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो विवाद पंजीयक महोदय के पास निर्णय हेतु भेजे जावेंगे। पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं अथवा प्रबंधकारिणी के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार पंजीयक को होगा।

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
... एजुकेशनल एंड
... सोसायटी, जबलपुर

अध्यक्ष
अध्यक्ष
माँ रेवती एजुकेशनल एंड
वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

सचिव
सचिव
माँ रेवती एजुकेशनल एंड
वेलफेयर सोसायटी, जबलपुर

TC

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर

उप पंजीयक
जबलपुर (म.प्र.)